

आज दिनांक 26.09.2022 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर श्री अखिल कुमार पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती श्री आर0के0 भारद्वाज के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर श्री सोनम कुमार के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य—

**अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 02 अभियुक्त गिरफ्तार**

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 10-10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त नाम पता 1- अमेरिका पुत्र मंगरू निवासी बालेपार 2 – उमा पत्नी राजेश कुमार निषाद निवासी भिडौरा-पिकौरा बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बेलहरकला पर क्रमशः मु0अ0सं0 207 / 2022 व 208 / 2022 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- हे0का0 अर्जुन सिंह, हे0का0 राजनाथ यादव, हे0का0 अयूब खान, हे0का0 राजेश कुमार चौरसिया, हे0का0 सुशील कुमार, का0 इन्द्रकमल।

**मेहदावल पुलिस द्वारा दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सोनम कुमार के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त नाम पता राम उजागिर पुत्र रामअजोर साहनी निवासी गगनईबाबू थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री लालजी यादव मय हमराह।

**पीआरवी आफ द डे**

**पीआरवी 1484 द्वारा मारपीट / विवाद को कराया गया शांत व विवाद में घायल व्यक्तियों को पहुँचाया गया अस्पताल—** पीआरवी 1484 को थाना धनघटा अंतर्गत रामपुर मठ से इवेन्ट संख्या 14012 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने से 03 लोगों के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 09 मिनट में पहुँचकर विवाद को शांत कराया गया व विवाद में घायल लोगों को जरिए एंबुलेंस से प्रा0स्वा0केन्द्र मलौली भेजवाया गया तथा घटना के संबन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर विवाद

को शांत कराकर व विवाद में घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

**पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 गोरखनाथ यादव, आरक्षी शनि कुमार गौड़, हो0चा0 रामहित ।**

**मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 88 वाहनो से 83000 रु0 सम्मन वसूल किया गया**

आज दिनांक 26.09.2022 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 88 वाहनो से 83000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल वाहन किया गया ।